भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *219

जिसका उत्तर सोमवार, 15 दिसंबर, 2025/ 24 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया गया

वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रदान किया गया ऋण स्थगन

*219. श्री बैन्नी बेहनन:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2020 से बाढ़, भूस्खलन और भारी वर्षा से प्रभावित कृषि ऋण लेने वालों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दी गई ऋण माफी, ऋण को बट्टे खाते में डाले जाने और ऋण स्थगन का राज्य-वार/वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2020 से अब तक माफी, बट्टे खाते में डालने और ऋण स्थगन संबंधी राहत पर खर्च की गई धनराशि/निधि का राज्य-वार/बैंक-वार/वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने जलवायु संबंधी आपदाओं से प्रभावित ऋण लेने वाले ग्रामीणों के लिए इन राहत उपायों की पर्याप्तता और समय-सीमा का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारामन)

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

"वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रदान किया गया ऋण स्थगन" के संबंध में 15 दिसंबर 2025 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 219 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ग): सरकार ने बाढ़, भूस्खलन और भारी वर्षा से प्रभावित कृषि उधारकर्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। इस संबंध में, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 17 अक्टूबर, 2018 को प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा राहत उपायों पर मास्टर निदेश जारी किया है, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:-

- चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटने, कीट हमले और शीत लहर/पाला को प्राकृतिक आपदाओं के रूप में मान्यता दी गई है।
- राज्य/केंद्र सरकार द्वारा घोषित प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में प्राकृतिक आपदा की घटना के समय अतिदेय ऋणों को छोड़कर सभी अल्पकालिक ऋण पुनर्संरचना के लिए पात्र होंगे।
- प्रभावित उधारकर्ताओं को बैंकों द्वारा नए ऋण भी मंजूर किए जा सकते हैं।
- उधारकर्ता की चुकाने की क्षमता और प्राकृतिक आपदा की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए सावधि कृषि ऋण की किस्तों को भी पुनर्निर्धारित किया जाएगा।
- अल्पकालिक और दीर्घकालिक ऋणों के पुनर्संरचित हिस्से को चालू बकाया के रूप में माना जा सकता है और इसे अनर्जक आस्तियों (एनपीए)के रूप में वर्गीकृत करने की आवश्यकता नहीं है।

आरबीआई द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार, जनवरी 2020 से जून 2025 तक की अवधि के दौरान प्राकृतिक आपदाओं के कारण अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा राहत उपायों, अर्थात् (i) पुनर्संरचित/पुनर्निर्धारित अग्रिमों और (ii) नए वित्त/पुन: उधार संबंधी राज्यवार आंकड़ा क्रमशः **अनुलग्नक-I और अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और पेमेंट बैंकों को छोड़कर) द्वारा कृषि और संबद्ध कार्यकलाप क्षेत्र में बट्टे खाते में डाले गए वर्ष-वार ऋण निम्नानुसार हैं:-

(राशि करोड़ रुपए में)

वित्तीय वर्ष	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26***
राशि	14,483	15,222	23,852	24,426	21,882	14,122

स्रोत: आरबीआई

*: दिनांक 30.09.2025 की स्थिति के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अनंतिम आंकड़े

सरकार विभिन्न हितधारकों, जैसे राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी), आरबीआई, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), बैंकों, राज्य/केंद्र सरकार के विभागों आदि के साथ समन्वय करके सर्वोत्तम संभावित समय सीमा के भीतर प्रभावित उधारकर्ताओं को पर्याप्त राहत उपाय प्रदान करने का प्रयास करती है।

*****

अनुबंध-I

लोकसभा के तारांकित प्रश्न संख्या *219 के भाग (क) से (ग) में संदर्भित कथन, जिसका उत्तर 15.12.2025 को देना है, 'वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रदान की गई ऋण स्थगन अवधि' विषय पर आधारित है।

प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में बैंकों द्वारा प्रदान किए गए राहत उपाय (पुनर्संरचित/पुनर्निर्धारित राशि) के संबंध में आंकड़े

(खातों की संख्या के संबंध में वास्तविक आंकड़े और राशि करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	राज्य का नाम	2020		2021		2022		2023		2024		2025*	
		खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि
1	आंध्र प्रदेश	48	2.72	-	-	-	-	-	-	11,764	811.86	-	-
2	असम	-	-	-	-	2,88,370	851.3	-	-	-	-	-	-
3	हिमाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-	7,388	975.03	-	-	-	-
4	जम्मू और कश्मीर	1,11,597	622.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	झारखंड	-	-	-	-	751	11.03	-	-	-	-	-	-
6	कर्नाटक	11,393	436.61	17,433	1357.4	-	-	15,675	254.9	21,605	448.95	-	-
7	केरल	-	-	-	-	23,000	233.5	-	-	27	1.12	16	0.7
8	महाराष्ट्र	1,34,657	1875.02	23,000	791.22	4,123	204.96	1,359	21.88	-	-	-	-
9	मणिपुर	-	-	-	-	-	-	34,879	1,189.97	35,888	1,247.10	18,294	219.3
10	सिक्किम	-	-	-	-	-	-	34	7.99	35	16.87	-	-
11	तमिलनाडु	-	-	-	-	-	-	-	-	5,214	468.14	8	191.81
12	पश्चिम बंगाल	-	-	13	0.10	-	-	-	-	-	-	-	-

स्रोत: राज्य स्तरीय बैंकर समिति(एसएलबीसी) द्वारा आरआरबी सहित एससीबी के लिए आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से प्रस्तुत की गई रिपोर्ट।

**: 2025 का विवरण जून 2025 तक का है।*

अनुबंध-II

लोकसभा के तारांकित प्रश्न संख्या *219 के भाग (क) से (ग) में संदर्भित कथन, जिसका उत्तर 15.12.2025 को देना है, 'वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रदान की गई ऋण स्थगन अवधि' विषय पर आधारित है।

प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में बैंकों द्वारा प्रदान किए गए राहत उपाय (प्रदान किए गए नए वित्त/पुन: उधार) के संबंध में आंकड़े

(खातों की संख्या के संबंध में वास्तविक आंकड़े और राशि करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	राज्य का नाम	2020		2021		2022		2023		2024		2025*	
		खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि
1	आंध्र प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-	11,834	65.66	-	-
2	असम	-	-	-	-	3,011	26.6	-	-	-	-	-	-
3	हिमाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-	317	3.59	-	-	-	-
4	जम्मू और कश्मीर	85,060	418	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	झारखंड	-	-	-	-	20,312	227.90	-	-	-	-	-	-
6	कर्नाटक	1,55,493	4174.7	66,588	5,675.91	-	-	1	0.12	7,126	344.43	-	-
7	केरल	-	-	-	-	-	-	-	-	8	0.14	94	0.81
8	महाराष्ट्र	10,15,619	8,537.46	4,310	232.99	1,861	57.92	-	-	-	-	-	-
9	मणिपुर	-	-	-	-	-	-	866	20.9	865	20.94	962	25.02
10	राजस्थान	-	-	119.5	48	-	-	-	-	-	-	-	-
11	सिक्किम	-	-	-	-	-	-	5	0.49	1	0.1	-	-
12	तमिलनाडु	-	-	-	-	-	-	-	-	12,939	402.46	11	31.08
13	त्रिपुरा	-	-	-	-	-	-	-	-	28,490	1,529.12	-	-

स्रोत: राज्य स्तरीय बैंकर समिति(एसएलबीसी) द्वारा आरआरबी सहित एससीबी के लिए आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से प्रस्तुत की गई रिपोर्ट।
**: 2025 का विवरण जून 2025 तक का है।*